हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

21/1/2026
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ~~तदर्थ~~ दिनांक 10/2/26 को पेश हो।

10/2/2026 आज्ञा से रीडर

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ~~तदर्थ~~ दिनांक 25/2/26 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

5/2/2026 फौत उपखण्ड पीठ। वहन तर्कना पत्र पूर्ण गई। संक्षिप्त में विवरण यह सामने है कि मौजा चित्तौड़ तहसील चित्तौड़ की आ०प० 1044, 1033, 1034, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1080, 1081, 1035 कुल किस 11 कुल रकबा 2.07 हेक्टेयर स्थित है। प्रार्थी के पापाजी पालन का फौत होने के पश्चात नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर नामान्तकरण खुला। पालन पिता परलोक सिधार फौत हुआ पश्चात अपने जीवन काल में अपने पिता उदयराम को गोद रखा पिता पालन की मृत्यु पर नामान्तकरण खुला। मदन लाल ने गोदपिता व मूल पिता होने प्रमाण नामान्तकरण खुला लिया है व आरोपीगण कूट-कूट करने पर आमादा है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के पारित किया जावे। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व पक्षकारान पर मनन किया। तर्कना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मूल रूप के साथ मसूल लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जायेगा। पक्षकारों के बीच अस्थायी निषेधाज्ञा इसलिये कि पक्षकार उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मकान संख्या मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनती है। तर्कना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] से पेश हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़